सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार— I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2018/20 दर्ज तिथि:— 11.07.2018

1. मंजू पत्नि स्व. महेन्द्र जाति जाट निवासी सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. अंकित पुत्र स्व. महेन्द्र जाति जाट निवासी सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. अनुष्का पुत्री स्व. महेन्द्र स्व. महेन्द्र जाति जाट निवासी सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू (राज.) नाबालिक जरिये कुदरती माता मंजू पत्नि महेन्द्र

................प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी सहनाली छोटी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. भगवानाराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी सहनाली छोटी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. भागीरथ पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी सहनाली छोटी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. चावली पत्नि प्रेमाराम जाति जाट निवासी सहनाली छोटी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर तहसील व जिला चूरू जरिये शाखा प्रबन्धक
7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा रतननगर तहसील व जिला चूरू जरिये शाखा प्रबन्धक

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री धन्नाराम सैनी
अप्रार्थी सं. 1:— श्री सुरेन्द्र बुडानिया

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 274 व 276 तादादी क्रमशः 7.6890 व 4.5527 कुल तादादी 12.2417 वाके रोही सूरतपुरा तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है जिसमें मुताबिक जमाबन्दी संवत [illegible] रिकॉर्ड में (1) अंकित पुत्र महेन्द्र हिस्सा 1/15 जाति जाट निवासी सहनाली खातेदार हिस्सा 1/[illegible] खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर (2) अनुष्का पुत्री महेन्द्र हिस्सा [illegible] खातेदार हिस्सा 1/15 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर (3) [illegible] पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/5 जाति जाट निवासी सहनाली खातेदार हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर (4)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested

भंवरलाल पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/5 जाति जाट निवासी सहनाली खातेदार (5) भागीरथ पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/5 जाति जाट निवासी सहनाली खातेदार हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर (6) मंजू पत्नि महेन्द्र हिस्सा 1/15 जाति जाट निवासी सहनाली खातेदार हिस्सा 1/15 (पूर्ण हिस्सा) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर (7) मोहनलाल पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/5 जाति जाट निवासी सहनाली खातेदार हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर अंकित चली आ रही है। भंवरलाल की मृत्यु दिनांक 31.08.2014 को चुकी है। वह लाऔलाद फौत हो चुका है उसके वारिसान वादीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 है लेकिन भंवरलाल की हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 4 चावली को आपसी सहमति से दी हुई है।

2. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की दुसरी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 68 व 78 वाके रोही 0.9485 व 6.6393 वाके रोही सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू में चली आ रही है मुताबिक जमाबन्दी संवत 2071–74 (1) अंकित पुत्र महेन्द्र हिस्सा 1/15 जाति जाट निवासी सहनाली खातेदार हिस्सा 1/15 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर (2) अनुष्का पुत्री महेन्द्र हिस्सा 1/15 जाति जाट निवासी सहनाली खोतदार हिस्सा 1/15 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर (3) चावली पत्नि प्रेमाराम हिस्सा 1/5 जाति जाट निवासी सहनाली खातेदार हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रतननगर हाल एस.बी.आई. (4) भगवानाराम प्रेमाराम हिस्सा 1/5 जाति जाट निवासी सहनाली खातेदर हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर (5) भागीरथ पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/5 जाति निवासी सहनाली खातेदार हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर (6) मंजु पत्नि महेन्द्र हिस्सा 1/15 जाति जाट निवासी सहनाली खातेदार हिस्सा 1/15 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर (7) मोहनलाल पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/5 जाति जाट निवासी सहनाली खातेदार हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित चली आ रही है।

3. दोनों कृषि भूमियां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी एवं काश्तकारी की है शामलाती है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 4 संख्या में काफी हो गये हैं तथा वादगत कृषि भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इस कारण हिस्साकसी को लेकर तथा सीमांकन को लेकर पक्षकारों में विवाद रहता है और भविष्य में विवाद बढ़ने का अन्देशा है तथा हिस्सेदार बढ़ने की संभावना है। इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो अपने हिस्से की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अलग से ही खाता कायम करवा लेंवे। प्रार्थीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति है और वह अपने हिस्से की भूमि को शान्तिपूर्ण तरीके से कब्जे में रखना चाहते है लेकिन पक्षकारान संख्या में अधिक होने के कारण प्रार्थीगण के कब्जामें व्यवधान पहुंचते है।

4. कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 274 व 276 तादादी क्रमशः 7.6890 व 4.5527 कुल तादादी 12.2417 में से 1/5 हिस्सा 3.9659 हैक्ट. वादीगण के कब्जे काश्त में चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पति एवं पिता स्वर्गीय महेन्द्र को आपसी सहमति से खसरा संख्या 274 व 276 में 3.3659 हैक्ट. भूमि दी हुई थी सिमें प्रार्थीगण के पति/पिता ने स्कुल का निर्माण करवाया था जिस स्कूल का प्रार्थी संख्या–1 संचालन करती व करवाती चली आ रही है तथा अपने पति के समय से ही उक्त स्कूल के पास वाली भूमि ही काश्त करती [illegible] वर्ष में इसी भूमि को काश्त कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 को छोड़कर सभी अ[illegible]र्थीगण को उसके हिस्से स्कूल के पास वाली भूमि ही बंटवारे में देना [illegible] प्रार्थी की स्कूल वाली भूमि में हस्तक्षेप कर रहा है तथा ज[illegible]क में है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर पट्टीया रोपकर तारबंदी भी कर रखी [illegible] प्रार्थी संख्या 1 विधवा महिला है इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested

कारण वह अप्रार्थी संख्या 1 का मुकाबला करने में असमर्थ है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्षमें है तथा अपूतर्नीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से में ट्यूबवेल व कुण्ड बना रखा है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जयि अस्थायी व्यादेश वर्जित किया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि खेत खेत खसरा संख्या 274 व 276 तादादी क्रमशः 7.6890 व 4.5527 कुल तादादी 12.2417 हैक्ट. वाके रोही सुरतपुरा तहसील व जिला चूरू तथा खेत खसा संख्या 68 व 78 वाके रोही 0.9485 व 6.6393 वाके रोही सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू में खसरा संख्या 274 व 276 में 1/5 हिस्सा (3.9659 हैक्ट.) में से प्रार्थीगण का बेदखल नहीं करे, काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, प्रार्थीगण की तारबंदी पट्टियों को नहीं हटवाये, स्कूल संचालन में बाधा नहीं पहुंचावे। वादगत कृषि भूमि का रहन बैय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

5. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 ता 4 व 6 ता 7 पर विधिवत तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बुडानिया ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 की को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली में सीधे बहस में नियत की गई।

6. प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जयि अस्थायी व्यादेश वर्जित किया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि खेत खेत खसरा संख्या 274 व 276 तादादी क्रमशः 7.6890 व 4.5527 कुल तादादी 12.2417 हैक्ट. वाके रोही सुरतपुरा तहसील व जिला चूरू तथा खेत खसा संख्या 68 व 78 वाके रोही 0.9485 व 6.6393 वाके रोही सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू में खसरा संख्या 274 व 276 में 1/5 हिस्सा (3.9659 हैक्ट.) में से प्रार्थीगण का बेदखल नहीं करे, काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, प्रार्थीगण की तारबंदी पट्टियों को नहीं हटवाये, स्कूल संचालन में बाधा नहीं पहुंचावे। वादगत कृषि भूमि का रहन बैय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

7. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निर्णयार्थ प्रस्तुत हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रार्थना–पत्र, अभिलेखों एवं उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण से स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 274 व 276 रोही सूरतपुरा तथा खसरा संख्या 68 व 78 रोही सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि है। उक्त भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है और हिस्सेदारी एवं सीमांकन को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहा है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पति/पिता स्व. महेन्द्र को आपसी सहमति से भूमि का एक भाग काश्त हेतु दिया गया था, जिस पर स्कूल का निर्माण किया गया तथा वर्तमान में प्रार्थी संख्या–1 द्वारा उसका संचालन किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर काश्त करना, ट्यूबवेल, कुण्ड एवं तारबंदी होना प्रथम दृष्टया अभिलेखों एवं कथनों से परिलक्षित होता है। अप्रार्थी संख्या 02 से 04 एवं 06 से 07 समुचित तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या–01 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि वाद के अंतिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाए रखना न्यायहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested

में है या नहीं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, तथा हस्तक्षेप होने की स्थिति में अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना है। अतः न्यायहित में वादगत भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार की जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का जारी किया जाता है कि वाद के अंतिम निस्तारण तक, वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 274/7.6890 हैक्ट. व खसरा संख्या 276/4.5527 हैक्ट रोही सुरतपुरा, तहसील व जिला चूरू के मौका एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 04.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार–I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested